जातियान मेघवाल, निवासी हरीपुरा भैरूसागर
तहसील ओसियां, जिला जोधपुर।

बनाम

अप्रार्थी:– श्रीमान् तहसीलदार ओसियां।

उपस्थित –

प्रार्थीगण की ओर से – अधिवक्ता श्री जसवन्तसिंह चौहान
अप्रार्थी की ओर से – सरकारी पैरोकार।

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम

–::निर्णय::–

दिनांक:- 5/8/21

प्रार्थीगण द्वारा एक राजस्व प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 राजस्थान भू–राजस्व अधिनियम का इस आशय का प्रस्तुत किया कि– प्रार्थीगण के पिता, पति व अन्य की संयुक्त खातेदारी व कब्जा काश्त सुदा भूमि खसरा नम्बर 102, 105, 227, 3 कुल रकबा 10.8456 हैक्टेयर, मौजा हरीपुरा, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर की सरहद में आई हुई हैं। उक्त भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के पिता, पति का नाम गेफरराम पुत्र श्री गोरखाराम खातेदार के रूप में दर्ज है। जो गलत है। राजस्व कर्मचारियों द्वारा भूलवश प्रार्थीगण के पिता, पति का नाम गेफरराम पुत्र श्री गोरखाराम दर्ज कर दिया जबकि प्रार्थीगण के पिता, पति का सही नाम दुर्गाराम है। प्रार्थीगण के तमाम दस्तावेज आधार कार्ड, राशन कार्ड, में पिता, पति का नाम दुर्गाराम दर्ज है तथा प्रार्थीगण के पिता, पति के स्वयं के दस्तावेजों में भी नाम दुर्गाराम दर्ज है। उक्त राजस्व रेकर्ड में नाम त्रुटि केवल मात्र राजस्व कर्मचारियों की सद्भाविक भूल के कारण हुई हैं। जो वर्तमान में उसी अनुसार राजस्व रेकर्ड में दर्ज हैं। राजस्व रेकर्ड में रही त्रुटि को लेकर प्रार्थीगण को भयंकर समस्याओं का सामना करना पड़ रहा हैं। जिस वजह से प्रार्थीगण अपनी भूमि पर भूमि सुधार कार्य करने बाबत् तमाम कार्य रूके हुए पड़े हैं तथा श्री

सहायक कलेक्टर, ओसियां

Scanned with CamScanner

दुर्गाराम का स्वर्गवास हो चुका है इसलिए राजस्व रेकर्ड में नाम में अन्तर होने के कारण फौतेदगी नामान्तरकरण दर्ज करने में भी परेशानी हो रही है।

अतः प्रार्थना पत्र प्रस्तुत कर श्रीमान् से निवेदन हैं कि प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के पिता, पति व अन्य की संयुक्त खातेदारी व कब्जा सुदा भूमि खसरा नम्बर 102, 105, 227, 3 कुल रकबा 10.8456 हैक्टेयर, मौजा हरीपुरा, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर में प्रार्थीगण के पिता, पति का नाम गेफरराम पुत्र गोरखाराम दर्ज कर रखा है जो गलत है उसके स्थान पर प्रार्थीगण के पिता, पति का वास्तविक नाम दुर्गाराम पुत्र गोरखाराम दर्ज किया जाकर राजस्व रेकर्ड दुरस्त किये जाने का आदेश सादिर फरमाया जावें। तदनुसार राजस्व रेकर्ड में अमल दरामद करवाया जावें।

प्रार्थीगण उक्त प्रार्थना पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर जरिये नोटिस अप्रार्थी को तलब किया गया। अप्रार्थी की ओर से सरकारी पैरोकार उपस्थित हुए। अप्रार्थी की ओर से जवाब प्रस्तुत किया गया तथा प्रार्थना पत्र में वर्णित भूमि के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के पिता, पति का नाम गेफरराम के स्थान पर दुर्गाराम शुद्ध किये जाने की अनुशंषा की है।

प्रार्थीगण अधिवक्ता की बहस सुनी गई बहस पर मनन किया, पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजात का ध्यान पूर्वक अवलोकन किया जिससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण के पिता, पति का सही नाम दुर्गाराम है जो पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात से स्पष्ट है, इसलिए प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य है।

—::आदेश::—

अतः प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र स्वीकार किया जाकर प्रार्थीगण के पिता, पति की खातेदारी भूमि खसरा नम्बर 102, 105, 227, 3 कुल रकबा 10.8456 हैक्टेयर, मौजा हरीपुरा, तहसील ओसियां, जिला जोधपुर के राजस्व रेकर्ड में प्रार्थीगण के पिता, पति का नाम गेफरराम पुत्र गोरखाराम के स्थान पर दुर्गाराम पुत्र गोरखाराम दर्ज किये जाने का आदेश दिया जाता है। पालना हेतु तहसीलदार ओसियां को तहरीर जारी हो। पत्रावली फैसल शुमार होकर दाखिल दफ्तर हो।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

आज दिनांक 5/8/21 को खुला न्यायालय में आदेश सुनाया गया।

सहायक कलक्टर एवं
उपखण्ड अधिकारी, ओसियां

Scanned with CamScanner